संख्या १५६ / चौवालिस–२–१५६ / ९१–९२
डा० विजय कृष्ण सक्सेना,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–२

लखनऊ: ५फरवरी, १९९२

विषय: सार्वजनिक उद्गमों / निगमों एवं शासन के विभिन्न विभागों और सार्वजनिक निगमों / उपक्रमों के आपसी विवादों के निराकरण हेतु समिति का गठन।

महोदय,

सार्वजनिक क्षेत्र के सदस्य सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। इन नियमों / उपक्रमों एवं शासन के विभिन्न विभागों के मध्य समय–समय पर विवाद होते रहते हैं, जिनका प्रतिकूल प्रभाव इनकी उपलब्धियों पर पड़ता है, यह भी देखा गया है कि सार्वजनिक निगमों / उपक्रमों में आपस में विवाद उत्पन्न हो जाते है। अधिकांशत: विवाद राजस्व देयको, विस्तृत एकाउण्ट आदि समस्याओं को लेकर होते है।

२– दोनो ही स्थितियों में निगम/उपक्रम अथवा सम्बन्धित विभाग में उत्पन्न होने वाले विवादो के निराकरण हेतु न्यायधिकरण एवं न्यायलयों का सहारा लिया जाता है। न्यायालयों/न्यायधिकरणों में विवादो के जाने से न केवल वित्तीय हानि होती है, बल्कि विवादों के निस्तारण में काफी विलम्ब होता है। यह शासन एवं उपक्रम दोनों के लिए हानिप्रद है।

३– अत: उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल महोदय सांविधिक निगमों से सम्बन्धित अधिनियमों/नियमों तथा कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९६० के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/उपक्रमों के आर्टिकिल्स ऑफ एशोसियशन से सम्बन्धित तथा उ०प्र० सार्वजनिक निगमों पर नियन्त्रण अधिनियम १९७५(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–४१/१९७५) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शासन के विभिन्न निगमों तथा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के मध्य आपस में उत्पन्न होने वाले सभी विवादो के निराकरण एवं निस्तारण हेतु निम्न समिति का गठन करते है:–

(१) प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग ..... अध्यक्ष
(२) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग ..... सदस्य
(३) सचिव, उद्योग विभाग ..... सदस्य
(४) सचिव, न्याय विभाग ..... सदस्य
(५) सचिव, सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग ..... सदस्य

४– राज्यपाल महोदय यह भी निर्देश देते है कि विवादो की उक्त समिति को संदर्भित किया जाये तथा समिति के अध्यक्ष समिति की बैठक बुलाकर संदर्भित होने वाले विवादों को निस्तारित करायेगें। किसी भी उपक्रम/निगम शासन के विभाग द्वारा उक्त समिति के अभिनिर्णय के विरूद्ध पुन: किसी सक्षम न्यायलय में विवाद/मामला नही ले जाया जायेगा।

यदि प्रश्नगत समिति के अभिनिर्णय से कोई निगम/उपक्रम/विभाग सन्तुष्ट न हो, तो निगम/उपक्रम/विभाग शासन स्थित प्रशासकीय विभाग द्वारा यथाप्रक्रिया मंत्रि–परिषद के समक्ष प्रकरण को प्रस्तुत कर

सकते है इस सम्बन्ध में मंत्रि–परिषद का अथवा यदि मंत्रि–परिषद द्वारा कोई समिति गठित की जाती है तो उसी समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें एवं इसका अनुपालन तत्परता एवं कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय
ह०/–
(डा० विजय कृष्ण सक्सेना)
मुख्य सचिव

संख्या–१५६(१)/४४–२–१५६/९१–९२ तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
(१) निगमों/उपक्रमों के प्रबन्ध निर्देशकों/मुख्य कार्यकारी (नाम से)
(२) सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ को १० प्रतियों सहित।
(३) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–१

आज्ञा से
ह०/–
(रमेश चन्द्र त्रिपाठी)
प्रमुख सचिव